2018/00152

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 13/2018 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति अहीर निवासी छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा
2. प्रबन्धक, हा0 क्षे0 ग्रा0 बैक नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित :– श्री रविन्द्र खण्डेलवाल (अभिभाषक अप्रार्थी)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 29.08.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम छिपडदा तहसील दीगोद के गत खसरा नम्बर 279 हाल खसरा नम्बर 446 जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में खाता नम्बर 20 पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम छिपडदा तहसील दीगोद के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2013–2032 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। उक्त वर्णित आराजी नामा0 सं0 104 दिनांक 19.01.1969 से लक्ष्मीचन्द पुत्र भेरूलाल जाति अहीर निवासी छीपडदा के नाम दर्ज हो गई सम्वत 2040–62बन्दोबस्त मे किस्म नहरी प्रथम दर्ज है । नामा0 सं0 171 दिनांक 24.02.99 विरासत एवं नामा0 सं0 815 दिनांक 31.05.2016 हकत्याग से उक्त आराजी उपरोक्त खातेदार के नाम दर्ज है नामा0 नं0 494 दि0 09.09.2010 से हा0 क्षे0 ग्रा0 बैक शाखा नीमोदा हरिजी के पक्ष मे रहन दर्ज है । उक्त वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे वर्णित भूमि है जिसकी खातेदारी दीगर व्यक्तियों के नाम नही हो सकती है इस बाबत माननीय उच्च न्यायालय की डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 20 सम्वत् 2071–2074 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री रविन्द्र खण्डेवाल एड0 का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में तथ्य अंकित किये है कि उक्त भूमि लक्ष्मीचन्द पुत्र भेरूलाल की रिकॉर्डेड खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है, जो विरासत व हक त्याग से कानूनन विधि सम्मत तरीके से इन्तकाल सं0 815 दिनांक 31.05.2016 से अप्रार्थी क्रम–1 के खाते दर्ज हुई और अप्रार्थी क्रम –1 उक्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स मे ऐसी कोई भी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो कि उक्त भूमि तलाई के रूप में उपयोग मे आयी हो, वास्तविकता तो यह है कि उक्त भूमि प्रारम्भ से ही कृषि भूमि है और कृषि उपयोग मे ही काम आई है और उक्त भूमि पर लक्ष्मीचन्द तत्पश्चात अप्रार्थी क्रम –1 की खातेदारी विधि सम्मत है और उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 अब्दूल रहमान बनाम सरकार से बाधित नही है । विशेष कथन मे तथ्य अंकित किये कि सरकार द्वारा समय समय पर भूमि के वर्तमान उपयोग उपभोग व किस्म अनुसार किस्म परिवर्तन कर लगान की देयता निर्धारण करने हेतु सर्वे व सेटलमेन्ट कार्य किया जाता है । उक्त भूमि कभी तलाई के रूप मे उपयोग मे नही आई है । उक्त भूमि कृषि भूमि है और लगानी भूमि है । जिसका अप्रार्थी क्रम–1 विधिवत खातेदार होकर लगान अदा करता चला आ रहा है । अप्रार्थी क्रम 1 से प्रार्थी लेण्ड होल्डर लगान प्राप्त करता चला आ रहा है, जिसके कारण प्रार्थी इसके विपरीत कुछ भी कहने से एस्टॉप्ड है । उक्त कानूनन उक्त रेफरेन्स काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है जो विलम्ब बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः उक्त रेफरेन्स निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

4. प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत हो जाने पर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि ग्राम छिपडदा तहसील दीगोद के गत खसरा नम्बर 279 हाल खसरा नम्बर 446 जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में खाता नम्बर 20 पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम छीपडदा तहसील दीगोद के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2013–2032 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प0010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 20 सम्वत् 2071–2074 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने बाबत तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्री मान निबन्धक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा